# बिहार सरकार
# स्वास्थ्य विभाग
# अधिसूचना

पटना, दिनांक– 01/06/2023

संख्या–6/एन0–07–35/2010 (अंश)–904(6)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ–ए0एन0एम0) संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है; विभाग के निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना;

(iv) 'ए0एन0एम0' से अभिप्रेत है ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ;

(v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;

(vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) संवर्ग;

(vii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंत में अंकित परिशिष्ट; तथा

(viii) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफरी कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. **संवर्ग का गठन।** – बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। संवर्ग में कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान।**– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पदसोपान परिशिष्ट के अनुसार होगें।

5. **भर्त्ती।** – इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से, प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम–7(2) में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. **अर्हताएँ।** – मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।

7. **उम्र सीमा।** –(1) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय, परन्तु नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में संविदा नियोजित ए0एन0एम0 को पूर्व में प्रतिवर्ष किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

संविदा नियोजन के फलस्वरूप उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 ली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जायेगा।

8. **भर्ती की प्रक्रिया**।– (1) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए | – | 60 अंक |
| (ख) उच्चतर कोर्स के लिए (जी0एन0एम0–10, बी0एस0सी0 (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, एम0एस0सी0 (नर्सिंग)–15 ) | – | 15 अंक |
| (ग) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।) | – | 25 अंक |
| कुल | – | 100 अंक |

**स्पष्टीकरण** :– प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 x 0.6 = 30 अंक दिये जायेंगे।

(3) आयोग उपर्युक्त उपनियम (2) के आधार पर तैयार मेधासूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किये जाने के पश्चात् संबंधित नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा–निदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

9. **परिवीक्षा अवधि**। – नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को सेवामुक्त कर सकेगा।

10. **सम्पुष्टि**।– परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

11. **वरीयता**।– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

12. इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

13. **प्रोन्नति के सोपान**।– (1) सेवा में सम्पुष्ट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए एवं वरीयता–सह–योग्यता के अनुसार इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। प्रोन्नति संबंधी, चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय आवश्यक होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**– (1) प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर देय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

15. **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का स्थानांतरण।**– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का स्थानांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्समय लागू नियम/विनियम/निदेश से अधिशासित होगा।

16. **आरक्षण।**– सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

17. **परिधान (यूनिफार्म)।**– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिए कर्त्तव्य के दौरान विभाग द्वारा विनिश्चित परिधान धारित करना अनिवार्य होगा।

18. **अवशिष्ट मामले।**– इस नियमावली में जिन विषयों के लिए प्रावधान नहीं किए हों उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. **शंकाओं का निराकरण।**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. **कठिनाई का निराकरण।**– यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, ऐसे आदेश द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (1) बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2018 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेंगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

## परिशिष्ट

### [ नियम 2(VII), 4, 12, 13 द्रष्टव्य ]

### बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग का पदसोपान

| क्रमांक | पदनाम | कोटि |
|---|---|---|
| 1. | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) | मूल कोटि (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 60%) |
| 2. | वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | प्रोन्नति का प्रथम सोपान (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 30%) |
| 3. | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पर्यवेक्षिका | प्रोन्नति का द्वितीय सोपान (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 10%) |

नोट :– उपर्युक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड, ग्रेड–पे एवं पे–लेवल वहीं होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

01.6.23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 6/एन0–07–35/2010 (अंश)– 904(6)　　पटना, दिनांक:– 01/06/2023

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01.6.23.

**सरकार के संयुक्त सचिव**